



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012025-260002
CG-DL-E-07012025-260002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946

No. 15]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 15(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(ड) के अनुसरण में तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 22 नवंबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 834 (असा.) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री मुकेश मंगल, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(PHRD Division)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2025

G.S.R. 15(E).—In pursuance of sub-section 1 (e) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No.834 (E) dated 22nd November, 2022, the Central Government hereby appoints Shri Mukesh Mangal, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Rajesh Kumar Sinha, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Chennai Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.